प्रकरण संख्या : 15/2024
राज० सरकार बनाम दिलीप कुमार वगै०
निर्णय दिनांक : 21.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	गूलचन्द लूणिया, (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या	:	15/2024
दायर दिनांक	:	12.03.2024
निर्णय दिनांक	:	21.07.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जैन, निवासी सैंथल मोड दौसा
2. प्रदीप कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जैन, निवासी सैंथल मोड दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 वाके ग्राम भंडाना तहसील दौसा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.54 है० अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होकर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर अप्रार्थीगण को भू–सुधार एवं कृषि प्रयोजन किए जाने की विधि में निहित प्रावधानों के तहत् अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त उक्त कृषि भूमि का अन्य उपयोग/उपभोग/परिवर्तन इत्यादि किए जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है जो अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि पर व्हीकल फिटनेस सेंटर कर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का स्वरूप बिगाडने व कृषि से भिन्न उपयोग/उपभोग बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया गया है, जो बेदखल योग्य होकर वर्णित भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार विलोपित कर राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा ने पावर पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण ने राज्य सरकार से 3 वर्ष की छूट का प्रमाण पत्र लेकर ही एमएसएमई के तहत उक्त खातेदारी भूमि में व्हीकल फिटनेस सेन्टर लगाया था। तत्पश्चात् 3 वर्ष की अवधि [illegible] से पूर्व ही नगरपरिषद् दौसा के समक्ष भूमि रूपान्तरण के लिए आवेदन किया गया कि[illegible] नगरपरिषद् दौसा ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि इस भूमि का रूपान्तरण यूआईटी दौसा के द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात् यूआईटी दौसा के समक्ष वार्ता [illegible] पर बताया गया कि कुछ समय पश्चात् आवेदन किया जावे और उक्त भूमि की जमाबन्दी से प्रकरण का नोट हटवाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि इनके द्वारा 06

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

माह की समयावधि में उक्त भूमि का रूपान्तरण करवा लिया जावेगा। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। अपने जवाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पृथक्–पृथक् शपथ–पत्र पेश किये।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी के खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रश्नगत आराजी को बिना सक्षम कार्यालय की अनुमति के कृषि से भिन्न उपयोग में लेने के कारण प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजी का कृषि से भिन्न उपयोग किया जाना स्वीकार किया है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि इनके द्वारा नगरपरिषद् दौसा के समक्ष भूमि रूपान्तरण के लिए आवेदन किया गया था लेकिन नगरपरिषद् दौसा ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि इस भूमि का रूपान्तरण यूआईटी दौसा के द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात् यूआईटी दौसा के समक्ष वार्ता करने पर बताया गया कि कुछ समय पश्चात् आवेदन किया जावे और उक्त भूमि की जमावन्दी से प्रकरण का नोट हटवाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पृथक्–पृथक् शपथ–पत्र पेश कर सशपथ बयान किये हैं कि इनके द्वारा 06 माह की अवधि के भीतर उक्त भूमि का रूपान्तरण करवा लिया जावेगा। अन्यथा इस न्यायालय को प्रश्नगत आराजी के संबंध में कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमि रूपान्तरण हेतु 06 माह का समय देने एवं प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया है। चूँकि प्रश्नगत आराजी के खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा भूमि रूपान्तरण का अवसर माँगा गया है एवं 06 माह ही अवधि में भूमि रूपान्तरण न करवाने की स्थिति में प्रश्नगत आराजी के संबंध में कार्यवाही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी के खातेदारों को भूमि उपयोग परिवर्तन का अवसर दिये बिना प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.54 है॰ वाके ग्राम भंडाना तहसील दौसा के खातेदारों के खातेदारी अधिकार विलोपित कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में प्रश्नगत आराजी के उपयोग परिवर्तन की अनुमति लिये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 06 माह का अवसर दिया जाता है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगनादेश भी खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि 06 माह की अवधि के भीतर सक्षम कार्यालय से प्रश्नगत आराजी के उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त की जावे, अन्यथा भविष्य में प्रार्थी तहसीलदार दौसा पुनः समान धारान्तर्गत प्रकरण बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)